पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या –116 / 2023

अनवान : –

1. शंकरलाल पुत्र गिरधारी लाल जाति कुम्हार (प्रजापति) थिराना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. रूपराम पुत्र गिरधारी लाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी बुधवालिया तहसील रातवसर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 116 सन 2023 निर्णय दिनांक 14/12/23

आज यह मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता संख्या 305/250 के खसरा न0 188 की 6.7410 हैक्ट भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येंक के 1/2 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि में पश्चिम दिशा की तरफ वाला हिस्सा 11 बिघा 16–1/2 बिस्वा भूमि अर्थात 2.9917 हैक्ट भूमि का रूपराम पुत्र गिरधारी प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त भूमि की पूर्व दिशा की तरफ वाला 14 बिघा 16–1/2 बिस्वा भूमि अर्थात 3.7493 हैक्ट भूमि का वादी शंकरलाल पुत्र गिरधारीलाल वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त भूमि के दक्षिण दिशा में रास्ता रहेगा जिसकी भूमि का काटान प्रतिवादी संख्या 1 रूपराम के हिस्सा में 1/3 हिस्सा व शंकरलाल वादी की 2/3 हिस्सा की भूमि का होगा। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 14/12/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:20:07 IST
Reason: SelfAttested